BSNLEU
P. Abhimanyu
General Secretary

BSNL EMPLOYEES UNION

Central Head Quarters

Ph.: 011-25705385
Fax : 011-25894862

Main Recognised Representative Union.
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar,
Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110008
E-mail : bsnleuchq@gmail.com, Website : www.bsnleu.in

बीएसएनएलईयू/102 (सर्कुलर संख्या 25/2022–25) **04 मार्च, 2025**

सेवा में,

सर्किल सचिव,
केंद्रीय पदाधिकारी,
जिला सचिव, बीएसएनएलईयू।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं।

साथियों,

8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना बीएसएनएलईयू की परंपरा है। कई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठकों में इस बात पर जोर दिया गया है कि बीएसएनएलईयू द्वारा हर साल 8 मार्च को उचित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए। **बीएसएनएलईयू के सीएचक्यू ने पहले ही सर्किल और जिला यूनियनों को सभी जिलों में आम सभाएं आयोजित करके 8 मार्च को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का आह्वान किया है।**

जैसा कि सभी साथी जानते हैं, बीएसएनएलईयू बीएसएनएल में कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रही है। लुधियाना के तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा युवा महिला कर्मचारियों पर किए गए यौन उत्पीड़न के खिलाफ बीएसएनएलईयू द्वारा आयोजित निरंतर संघर्ष सभी को अच्छी तरह से पता है।

बीएसएनएलईयू बीएसएनएल के बाहर भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। बीएसएनएलईयू ने युवा महिला पहलवानों के समर्थन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए, जो भाजपा सांसद और भारतीय पहलवान महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के यौन उत्पीड़न के खिलाफ किए गए थे। इसी तरह, बीएसएनएलईयू ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी जोरदार आवाज उठाई है।

हमारे देश में महिलाएं 50 प्रतिशत हैं। लेकिन, उनके साथ एक कमजोर वर्ग की तरह व्यवहार किया जा रहा है। महिलाओं पर अपराध, यौन उत्पीड़न और अपमान किया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। लेकिन, भारत महिलाओं के लिए एक असुरक्षित देश बन गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 50 अपराध हो रहे हैं। हर दिन 88 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इनमें से 11 दलित महिलाएं हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का एक कारण यह भी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले ज्यादातर लोग बिना किसी सजा के बच निकलते हैं। उदाहरण के लिए, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार करने वाले हर 100 पुरुषों में से 75 पुरुष बिना किसी सजा के बच निकलते हैं। सजा की दर बहुत कम है। यह कारक महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन, महिलाओं के इस योगदान को मान्यता नहीं मिल रही है। घर में एक महिला द्वारा की जा रही मेहनत को मान्यता नहीं मिल रही है। इसी तरह, परिवार की जमीन और छोटे–मोटे कामों में महिलाओं द्वारा की जा रही मेहनत को भी मान्यता नहीं मिल रही है। भारतीय स्टेट बैंक की हाल ही में आई "इकोरैप रिपोर्ट" के अनुसार, "महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कामों का कुल योगदान 22.7 लाख करोड़ रुपये है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7.5 प्रतिशत है।"

केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिए धन में कटौती किए जाने से काम के दिनों में कमी आई है। इससे ग्रामीण गरीब महिलाओं की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। लेकिन, इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन अगली जनगणना से जुड़ा हुआ है।

इस सर्कुलर में उपरोक्त विवरण हमारे पुरुष सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हें महिलाओं की पीड़ा को समझना चाहिए। उन्हें महिलाओं के खिलाफ हो रहे सभी अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्हें महिलाओं की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए।

08.03.2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन करें। फोटो और रिपोर्ट सीएचक्यू को भेजें।

सधन्यवाद,

आपका भ्रातृवत्,

(पी. अभिमन्यु)
महासचिव